

“प्ररूप 26”
(नियम 4 क देखिए)

No. 101 Dated 15.4.2017



भागलपुर लोकसभा 26


निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) लोकसभा (सदन का नाम) के लिये निर्वाचन के लिये रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

मैं वीरैन दास **पुत्र/पुत्री/पत्नी स्व० रामरूप दास
आयु 52 वर्ष वर्ष, जो मौदला - जवारीपुर, पी०अ०धाना - तिलकामांझी जिला - भागलपुर पिन-812001.

(डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ, और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

(1) मैं संरक्षानुपारी माजीदारी पार्टी (** राजनैतिक दल का नाम) में संरक्षानुपारी अभ्यर्थी/ ** एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा है।




जो लोग न हो उसे काट दें)
मैं वीरैन दास (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में 307 पद प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं० 8002606735 हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) शुन्य है।

(4) स्थाई लेखा संख्याक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति :

क्रम सं०	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूपये में)
1	स्वयं	शुन्य	शुन्य	शुन्य
2	पति या पत्नी	शुन्य	शुन्य	शुन्य
3	आश्रित -1	शुन्य	शुन्य	शुन्य
4	आश्रित -2	शुन्य	शुन्य	शुन्य
5	आश्रित -3	शुन्य	शुन्य	शुन्य



9110 0713733

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त हूँ तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित हैं जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना / जिला / राज्य के पूर्ण ब्यौरे	शून्य
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिये आरोपित किया गया है	शून्य
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शून्य
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	शून्य
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	शून्य
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/है	शून्य

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित हैं / है जिसमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है



पूर्वोक्त (i) में वर्णित मामलों से भिन्न }

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शून्य
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहाँ न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिये संज्ञान लिया गया है	शून्य
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिये फाइल की गई अपील (अपीलों) / आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्यौरे	शून्य

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिये सिद्धदोष ठहराया गया है / नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिये कारावास का दंडादेश दिया गया है / नहीं दिया गया है :

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है:

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिये सिद्धदोष ठहराया गया है	शुन्प
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख(तारीखें)	शुन्प
(ग)	अधिरोपित दंड	शुन्प
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/ है। यदि हाँ, तो अपील के ब्यौरों और वर्तमान प्रास्थिति	शुन्प

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों(जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ।

अ.जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1-संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- जमा/विनिधान की दशा में कम सं०,रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक / संस्था का नाम और ब्यौरे सहित ब्यौरे दिये जाने हैं।

टिप्पण 3- सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों / शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4- यहाँ आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 75 क के अधीन सूचीकरण (5) में है।

टिप्पण 5- रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिये जाने हैं।

सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	अश्रित-1	अश्रित-2	अश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	10,000-00	शुन्प	शुन्प	शुन्प	शुन्प
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	500-00	शुन्प	शुन्प	शुन्प	शुन्प
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनियों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शुन्प	शुन्प	शुन्प	शुन्प	शुन्प
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्ही वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	शुन्प	शुन्प	शुन्प	शुन्प	शुन्प




(V)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और श्रणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प
(VI)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प
(VII)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प
(VIII)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प
(IX)	समग्र कुल मूल्य					

आ. स्थावर आस्तियों ब्यौरे


टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	अश्रित-1	अश्रित-2	अश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में कय की तारीख	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प
	क्रय के समय भूमि की लागत (कय की दशा में)	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प
(ii)	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में कय की तारीख	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प
	क्रय के समय भूमि की लागत (कय की दशा में)	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प



(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेन्ट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प
	क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प
	निर्मित क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हॉ या नहीं)	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प
	विकास , संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेन्ट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	2कंठा अवस्थिति	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	2कंठा	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	2कंठा	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हॉ या नहीं)	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प
	विकास , संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	30,00,000 = 00	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	30,00,000 = 00	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प



(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण : कृपया बैंक ,संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्र। सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक / वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प
	कोई अन्य दायित्व	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प
	दायित्वों का कुल योग	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प
(ii)	सरकारी शोध्य: सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प
	टेलीफोन / मोबाईल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प
	आय-कर शोध्य	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प
	भू-कर शोध्य	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प
	सेवाकर शोध्य	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प
	नगरपालिका / संपत्ति कर शोध्य	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प
	विक्रय कर शोध्य	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प
	कोई अन्य शोध्य	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हाँ तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प	शु-प



(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे:
 (क) स्वयं जमाजिक सेवा
 (ख) पति या पत्नी शु-प

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है :-


नाकाल 1

(प्रमाणपत्र/ डिप्लोमा/ डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय / विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्योरे देते हुए विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्योरा दें)


भाग -ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये ब्योरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/ श्रीमती/ वृ० वीरेंद्रदास				
2	डाक का पता	जबारीपुर, तिलकामांझी भागलपुर 812001.				
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	22, भागलपुर, बिहार।				
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है(अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	संरक्षानुपाती भागीदारीपाटी				
5	(1) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	शून्य				
	(2) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर मद (1) उल्लिखित मामलों से भिन्न)	शून्य				
	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष दर्शाया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया है।(लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा(1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	शून्य				
का स्थायी लेखा सं०.	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय			
	(क) अभ्यर्थी	शून्य	शून्य	शून्य		
	(ख) पति या पत्नी	शून्य	शून्य	शून्य		
	(ग) आश्रित	शून्य	शून्य	शून्य		
8	आस्तियों और दायित्वों के ब्योरे(रूपरे में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख	स्थावर आस्तियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	1. स्वअर्जित संपत्ति की कीमत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



	II.	कय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास / संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	शु-य	शु-य	शु-य	शु-य	शु-य
	III.	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	शु-य	शु-य	शु-य	शु-य	शु-य
		(क) स्वर्जित आस्तियां (कुल मूल्य)		शु-य	शु-य	शु-य	शु-य
		(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	30,00,000 (तीस लाख)	शु-य	शु-य	शु-य	शु-य
9		दायित्व	शु-य	शु-य	शु-य	शु-य	शु-य
	(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	शु-य	शु-य	शु-य	शु-य	शु-य
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शु-य	शु-य	शु-य	शु-य	शु-य
10		ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है					
	(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	शु-य	शु-य	शु-य	शु-य	शु-य
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शु-य	शु-य	शु-य	शु-य	शु-य
		उच्चतम शैक्षिक अर्हता:	एन/ए				
		प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)					



सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित अभियाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि:-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामलें से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है:

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8,9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 05/04/2014 को सत्यापित किया गया।

पहचान करती
मंजरी कुमारी
म/प्र/ब/ब/व/

Soren Das
अभिसाक्षी

टिप्पण 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिवस को 3:00 बजे अपराहन तक फाईल किया जाना चाहिए।
Mr./Mie. Parveen Khatun

Who is identified by Ajmani Khatun

टिप्पण 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग नॉन-रिजिस्टर्ड के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।
solemnly affirmed & declared before me.

M. Shami Akhtar

Notary Public in Bihar

टिप्पण 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 4. शपथपत्र टंकिक या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण-5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिये गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की सवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण-6 शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

" मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें है/हैं..... 8002606735

मेरा ई-मेल आईडी0 (अगर कोई हो) है..... 23-11

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है..... 23-11

